यूजेवीएन लिमिटेड

"उज्ज्वल", महारानी बाग, जी0एम0एस0 रोड,
देहरादून – 248 006

सार्वजनिक सूचना

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए यूजेवीएन लिमिटेड की 10 वृहद् जल विद्युत परियोजनाओं की विद्युत दरों के निर्धारण हेतु निगम द्वारा माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (आयोग) के समक्ष दायर याचिकाओं पर सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं।

टैरिफ याचिकाओं के मुख्य बिन्दु–

1) यूजेवीएन लिमिटेड (*उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम*), ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिये विद्युत दरों के निर्धारण एवं वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिये वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा (Annual Performance Review) हेतु अपनी 10 वृहद् जल विद्युत परियोजनाओं के लिये माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (आयोग) के समक्ष विद्युत उत्पादन दरों के निर्धारण हेतु याचिकाएं दायर की हैं। उक्त याचिकाओं के माध्यम से यूजेवीएन लिमिटेड ने अपनें 9 पुरानें जल विद्युत गृहों एवं मनेरी भाली–।। जल विद्युत गृह हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 के वास्तविक व्यय के राजस्व सत्यापन (ट्रू–अप) के लिये भी प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। यूजेवीएन लि0 के द्वारा अपनी 10 जल विद्युत परियोजनाओं हेतु दायर विद्युत उत्पादन दरों के निर्धारण हेतु दायर याचिकाओं का संक्षिप्त विवरण निम्न सारणी में उपलब्ध हैः–

वार्षिक तय लागत (Annual Fixed Cost) (रू0 करोड़ में)						
विद्युत गृह का नाम	वित्तीय वर्ष 2018–19 राजस्व सत्यापन (ट्रू–अप)		वित्तीय वर्ष 2019–20 (वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा)		वित्तीय वर्ष 2020–21	
	स्वीकृत (टैरिफ आदेश दि0 21.03.2018)	अधियाचित	स्वीकृत (टैरिफ आदेश दि0 27.02.2019)	यूजेवीएन लि0 द्वारा संशोधित अनुमान	स्वीकृत (टैरिफ आदेश दि0 27.02.2019)	यूजेवीएन लि0 द्वारा अधियाचित
ढ़करानी	17.63	25.05	25.54	31.50	27.42	40.80
ढ़ालीपुर	31.90	22.49	31.46	31.00	37.77	53.84
छिबरो	60.37	79.96	79.16	90.96	83.10	99.07
खोदरी	33.17	43.17	44.60	51.06	46.95	56.01
कुलहाल	12.51	19.21	19.59	23.81	20.67	29.10
रामगंगा	31.47	49.66	52.77	56.64	56.60	68.67
चीला	62.23	68.67	67.57	72.18	70.56	87.50
मनेरी भाली–।	41.67	56.91	49.78	62.31	60.08	88.71
खटीमा	43.57	43.50	45.37	46.17	45.29	48.57
मनेरी भाली–।।	235.29	316.83	240.23	317.37	220.26	297.30
योग	**569.81**	**725.45**	**656.07**	**783.00**	**668.70**	**869.57**

2) वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिये स्वीकृत वार्षिक तय लागत (AFC) के अतिरिक्त, माननीय आयोग द्वारा वर्ष 2017–18 के ट्रू–अप के सापेक्ष रू 5.34 करोड़ (अधिशेष) की वापसी हेतु टैरिफ आदेश दिनांक 27.02.2019 में आज्ञा प्रदान की गयी थी।

3) वित्तीय वर्ष 2020–21 की मांग के अतिरिक्त, यूजेवीएन लिमिटेड द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 के राजस्व सत्यापन (ट्रू–अप) के निमित्त रख–रखाव लागत सहित (Including Carrying Cost) रू0 175.02 करोड़ की यूपीसीएल से वसूली का प्रस्ताव दिया है।

4) यूजेवीएन लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2018–19 के ट्रू–अप के प्रभाव सहित, वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु 57.29% (वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु स्वीकृत टैरिफ के सापेक्ष) की वृद्धि प्रस्तावित की है। यूजेवीएन लिमिटेड का प्रस्ताव मा0 आयोग द्वारा पूर्णतः स्वीकार करने की स्थिति में, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा प्रस्तावित वृद्धि के ऊपर उपभोक्ता दरों में 5.32 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि होगी।

5) यूजेवीएन लिमिटेड द्वारा आवेदित विस्तृत प्रस्ताव किसी भी कार्य दिवस में आयोग के कार्यालय अथवा यूजेवीएन लिमिटेड के कार्यालय, ''उज्ज्वल'', महारानी बाग, जी0एम0एस0 रोड, देहरादून में निःशुल्क अवलोकनार्थ उपलब्ध है। सम्बन्धित विवरण यूजेवीएन लिमिटेड के उल्लिखित कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

6) यूजेवीएन लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव आयोग की वेबसाईट www.uerc.gov.in एवं यूजेवीएन लिमिटेड की वेबसाईट www.uttarakhandjalvidyut.com पर भी उपलब्ध है।

उपभोक्ताओं एवं अन्य हितधारकों से उपरोक्त प्रस्ताव के संबन्ध में आपत्ति/सुझाव, आमंत्रित किये जाते हैं। आपत्ति या सुझाव प्रमाणिक दस्तावेजों एवं तत्सम्बन्धित साक्ष्यों सहित सीधे सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग को स्वयं अथवा डाक द्वारा Uttarakhand Electricity Regulatory Commission, 'Vidyut Niyamak Bhawan', Near ISBT P.O. Majra, Dehradun पते पर या ई–मेलः secy.uerc@gov.in द्वारा विलम्बतः 31.01.2020 तक प्रेषित किये जा सकते हैं।